MACT No.2096/2024

1Witness No. 01 *For* आवेदक साक्षी *Deposition taken the* 09 *day of* जुलाई *, 2026* *Witness's apparent age* *29Yrs.*

States On Affirmation शपथपूर्वक *my name is* रम्हला अविनाशी

Wife of **स्व. आकाश कुमार अविनाशी** *Occupation* गृहणी

Address **ग्राम अमरताल, थाना अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा, छ.ग.**

टीप – साक्षी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में अपना शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया है, जिसकी कंडिका 01 से 09, तक हैं ।

मुख्य परीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश साहू , वास्ते आवेदकगण

10. मैंने अपने दावा आवेदन के समर्थन में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 294/2025 (थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक 559/2024) के दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की हूॅ, जिनमें अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.2, अपराध विवरण प्रदर्श पी.3, सम्पत्ति जब्ती प्रदर्श पी.4, प्रदर्श पी.5, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी.6 तथा ईलाज से संबंधित मेडिकल बिल प्रदर्श पी.7 से लेकर प्रदर्श पी.45 है । इसके अतिरिक्त दुर्घटना कारित चालक का ड्राईविंग लाईसेंस, आर.सी. बीमा पत्रक व मेरे आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की हूॅ । मुझे दावा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाये।

प्रतिपरीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री एजाज उल्लाह, वास्ते– अनावेदक क्रमांक–1

11. यह कहना सही है कि दुर्घटना मल्हार–पचपेड़ी मेन रोड, पकरिया मोड़ के पास की है । यह कहना सही है कि मोड़ के पास से जाते वक्त सामने से आ रही वाहन दिखाई नहीं देती है । यह कहना सही है कि मोड़ के पास भीड़–भाड़ रहता है । यह कहना सही है कि मोड़ के पास भीड़–भाड़ होने से वाहन को तेज गति से चलाया जाना संभव नहीं है । यह कहना गलत है कि मोड़ के पास से गुजने के बाद सामने खड़ी पिकअप वाहन से हम लोग टकरा गये थे, जिसके कारण मेरे पति एवं पुत्री की मृत्यु हो गई है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरे पति के द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण घटित है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री डी.एल.देवांगन, वास्ते– अनावेदक क्रमांक–2

12. मैं दुर्घटना के समय अपने पति के साथ मोटरसाईकिल में अमरताल से धुरवाकाली जा रही थी । यह कहना सही है कि उक्त मोटरसाईकिल को मेरे पति द्वारा चालन किया जा रहा था । यह कहना गलत है कि दुर्घटना दिनांक को मेरे पति के पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी । यह कहना सही है कि मैंने अपने पति का वाहन चालन अनुज्ञप्ति प्रकरण में पेश नहीं की हूॅ । स्वतः कहा कि पति का चालन अनुज्ञप्ति घर में है । यह कहना सही है कि दुर्घटना दिनांक को हम लोग हेलमेट नहीं पहने थे ।

13. यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना मेरे पति की स्वयं की लापरवाही से हुई थी । यह कहना गलत है कि मेरे पति द्वारा अपनी मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सड़क किनारे खड़े पिकअप से स्वयं ही जाकर टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे । यह कहना गलत है कि मेरे पति द्वारा दुर्घटना दिनांक को शराब का सेवन कर वाहन चालन कर रहे थे ।

14. यह कहना सही है कि दुर्घटना आमने–सामने के टक्कर से घटित हुई है । यह कहना गलत है कि मेरे पति द्वारा सामने से आ रही वाहन से स्वयं ही जाकर टकरा जाने के कारण दुर्घटना घटित हुई है ।

15. यह कहना सही है कि दुर्घटना के पश्चात मेरे ईलाज के संबंध में बेडहेड टिकट, डिस्चार्ज टिकट प्रकरण में पेश नहीं की हूॅ । यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना से मुझे किसी भी प्रकार से उपहति कारित नहीं हुई थी इसलिए उक्त दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं की हूॅ । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श पी.7 से लेकर प्रदर्श पी.45 तक के बिल फर्जी एवं बनावटी है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.11 एवं प्रदर्श पी.33 एक ही दस्तावेज है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.10 एवं प्रदर्श पी.34 एक ही दस्तावेज है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.15 एवं प्रदर्श पी.36 एक ही दस्तावेज है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.16 एवं प्रदर्श पी.35 एक ही दस्तावेज है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.17 एवं प्रदर्श पी.38 एक ही दस्तावेज है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.14 एवं प्रदर्श पी.39 एक ही दस्तावेज है ।

16. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में कोई डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं की है । यह कहना सही है कि हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है । यह कहना गलत है कि मेरा ईलाज आयुष्मान कार्ड से हुआ है ।

17. यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना से मुझे सामान्य प्रकृति की चोटें कारित हुई थी । यह कहना गलत है कि मैं उक्त दुर्घटना में आई चोटों का सामान्य ईलाज से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूॅ । यह कहना सही है कि मैंने अपने कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूॅ । यह कहना सही

है कि आज भी मैं पूर्व की भांति सिलाई–कढ़ाई का कार्य करती हूॅ ।

18. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अनावेदक क्रमांक– 1 एवं पुलिस वालों से मिलकर झूठा दाण्डिक प्रकरण तैयार करवाकर क्षतिपूर्ति पाने की लालसा से दावा पेश की हूॅ । यह कहना गलत है कि आज मैं क्षतिपूर्ति पाने की लालसा से झूठा कथन कर रही हूॅ ।

साक्षी को कथन पढकर सुनाया गया ।
उसने सही होना स्वीकार किया ।

sirajuddin qureshi Digitally signed by sirajuddin qureshi

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित किया ।
गया ।

sirajuddin qureshi Digitally signed by sirajuddin qureshi

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

गवाह का हस्ताक्षर